डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1493 **New Delhi: 14.12.2022**

श्री गौरी शंकर मालू
पुत्र श्री रामप्रसाद मालू
नरायना, जिला जयपुर
राजस्थान-303348
मोबाइल-9414516558

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 10.06.2021, जो CGM/Jaipur के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 09.12.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: १ पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडौर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dated: 07.12.2022

No. JP/EN/RTI/2022/03

श्री गौरीशंकर मालू
पुत्र श्री रामप्रसाद मालू,
नरायना, जिला जयपुर (राज.)
303348 मो.न. 9414516558

विषय :– सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

संदर्भ :– लोक सूचना अधिकारी एवं अपर कलक्टर नागौर के पत्र क्रमांक रेकर्ड/सू.अ.अ. 2005/प्र. सं. 141/2021/1123 दिनांक 11.11.2022

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा नागौर जिला में 1470 पेड़ लगाये जाने थे एवं जयपुर जिला में कुल 34324 पेड़ लगाये जाने थे। डी.एफ.सी.सी.आई.एल., नागौर जिले के छोटे से हिस्से से पास हो रही है एवं उस हिस्से में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नही होने की वजह से जयपुर जिले में कुल 1470 + 34324 = 35794 लगाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें से अभी तक 13340 पेड़ लगाये जा चुके है।

सूचनार्थ प्रस्तुत है।

The above mentioned information is being submitted under RTI Act, 2005. Hope the above information is complete and satisfactory. It not, then applicant can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st appellate Authority whose name and address is as under:-

Renu Pushkar Chhibar, GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building, New Delhi-110001.

(राकेश गुप्ता)
महाप्रबन्धक (सिग्नल एवं दूरसंचार)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. जयपुर

Copy to: - JGM/ADMIN (CPIO)/DFCCIL, New Delhi.